161/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 161/2016 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

11–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा बिन्दुवार उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

1. श्री सावंरमल रेगर द्वारा प्रकरण 45/2015 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी तहसीलदार श्रीगंगानगर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 श्रीगंगानगर में दिनांक 02.07.2016, 06.06.2016, 06.09.2016 व 17.09.2016 को न्यायालय में उपस्थित न होने व हाजिरी माफी के लिए श्री प्रेमप्रकाश मक्कड के जरिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जब ईस्तगासा ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत किया गया हे व ए.पी.पी. महोदय पैरवी करने के लिए नियुक्त व अधिकृत है। अतः जिस अधिनियम की जिस धारा में प्राईवेट वकील नियुक्त किया गया है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. प्राईवेट वकील नियुक्त न किये जाने का प्रावधान न होने की अवस्था में श्री सांवरमल रेगर जिस दण्ड के भागी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1844 दिनांक 15.11.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 22.09.16 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1152 दिनांक 07.10.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1152 दिनांक 07.10.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है:–

बिन्दु संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	श्री सावंरमल रेगर द्वारा प्रकरण 45/2015 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी तहसीलदार श्रीगंगानगर, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 श्रीगंगानगर में दिनांक 02.07.2016,06.06.2016,06.09.2016 व 17.09.2016 को न्यायालय में उपस्थित न होने व हाजिरी माफी के लिए श्री प्रेमप्रकाश मक्कड के जरिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जब ईस्तगासा ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत किया गया है व ए.पी.पी. महोदय पैरवी करने के लिए नियुक्त व अधिकृत है। अतः जिस अधिनियम की जिस धारा में प्राईवेट वकील नियुक्त किया गया है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	चाही गई सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। इसलिए सूचना शून्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

161/2016

2.	प्राईवेट वकील नियुक्त न किये जाने का प्रावधान न होने की अवस्था में श्री सांवरमल रेगर जिस दण्ड के भागी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	चाही गई सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। इसलिए सूचना शून्य है।

यदि आप प्रकरण से सम्बन्धित किसी अभिलेख का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय दिवस में कर सकते है और चिन्हित रिकार्ड की प्रतिलिपी प्राप्त कर सकते है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है। इसलिए अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 07.10.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो वह उसें नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर